

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
106 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

तारीख दायरा
22.11.2022

तारीख निर्णय
17.02.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....आवेदक

बनाम

1—श्री कमल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नेमी नाथ किराणा स्टोर राधा दामोदर कुण्ड के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक निवासी गणगौरी बाजार, निवाई जिला टोंक

2—श्री दीपक मोदी पुत्र श्री सत्यनारायण मोदी प्रोपरायटर/एफ.बी.ओ. मैसर्स मोदी ट्रेडिंग कम्पनी चोहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 2 मोहल्ला रेगरान निवाई जिला टोंक

3—श्री बिन्देश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामभरोसी शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स मॉ कैला देवी ट्रेडिंग कम्पनी जी-11, राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकर खेडा जयपुर निवासी 402, टॉवर 1, आशियाना ग्रीन्स, सीकर रोड सनसिटी के पीछे हरमाडा जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii), (v)एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी श्री दीपक मोदी उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 17.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.02.2022 को समय 12:39 पी.एम पर मैसर्स नेमी नाथ किराणा स्टोर राधा दामोदर कुण्ड के पास जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री कमल कुमार जैन पुत्र स्व. श्री सूरज मल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कमल कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ घी गाय के दूध से निर्मित माकखनवाला ब्राण्ड (Ghee made from Cow Milk Makaanwala Brand) 452-452 ग्राम के 6 मूल पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कमल कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर



2207

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बताकर कि यह घी गाय के दूध से निर्मित माखनवाला ब्राण्ड (Ghee made from Cow Milk Mankanwala Brand) जिसके बैच नम्बर SRMK18 एवं पैकिंग की दिनांक 14.12.2021 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है, 452-452 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी गाय के दूध से निर्मित माखनवाला ब्राण्ड (Ghee made from Cow Milk Mankanwala Brand) को अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3071 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3071 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा मौके पर नमूना कय करते समय श्री कमल कुमार जैन ने बतौर वारन्टी मैसर्स मोदी ट्रेडिंग कम्पनी चोहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/732 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./756/एक्ट/2022/792 दिनांक 08.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया घी गाय के दूध से निर्मित माखनवाला ब्राण्ड (Ghee made from Cow Milk Mankanwala Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के उल्लंघन के कारण कॉन्ट्रावेन (Contravene) व एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

आवेदक द्वारा मैसर्स मोदी ट्रेडिंग कम्पनी चोहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स मॉ कैला देवी ट्रेडिंग कम्पनी जी-11, राजधानी कृषि उपज मण्डी कूकर खेडा जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया जो कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता व पैकिंगकर्ता हैं। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री दीपक मोदी उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस घी गाय के दूध से निर्मित माखनवाला ब्राण्ड (Ghee made from Cow Milk Makanwala Brand) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी गाय के दूध से निर्मित माखनवाला ब्राण्ड (Ghee made from Cow Milk Makanwala Brand) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर स्वीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0